113

—1.

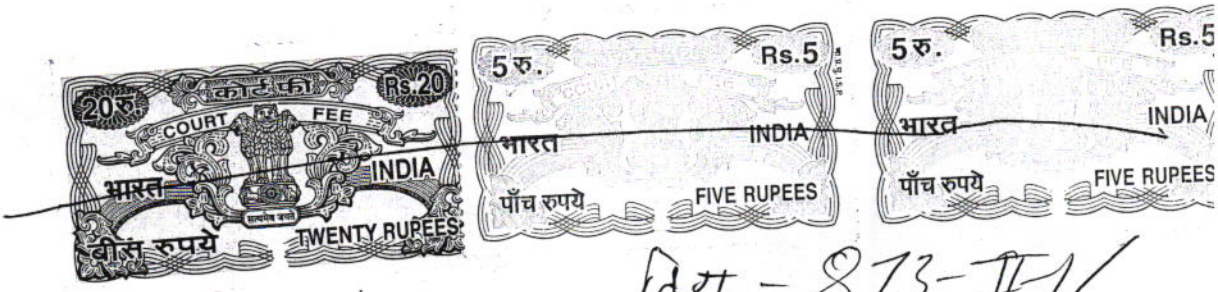

फ़ा — 873-II/16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–टीकमगढ़

भगवान दास पुत्र श्री हरपा बरार
निवासी–ओरछा जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.)
...... आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.)
...... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार ओरछा जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/अ–6अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ओरछा का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ओरछा द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किया है। वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, आवेदक की ओर से तहसीलदार ओरछा के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम ओरछा में स्थित भूमि खसरा नं. 455/9 रकवा 2.023 आरे प्रकरण क्रमांक 24/अ–19/72–73 आदेश दिनांक 22.08.1973 से शासकीय पट्टेदार का पट्टा प्रदान किया गया था। तथा ऋण पुस्तिका प्रदान की गयी थी। ओर वर्ष 1972 से 1986 तक आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज रहा है किन्तु बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से उपरोक्त भूमि को शासकीय दर्ज कर दिया गया है ऐसी स्थिति में अधिकारिता कार्यवाही की जाकर जो आदेश आवेदक के विरूद्ध पारित किया है वह अपास्त किया जाये।

4– यहकि, बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से भूमि को शासकीय दर्ज

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 813/II/2016 जिला–टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-3-16	उभय पक्ष के अभिभाषको को सुना गया आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क के समय प्रस्तुत दस्तावेजो पर विचार किया गया। अभिभाषक द्वारा बताया गया कि ग्राम ओरछा में स्थित भूमि खसरा नं. 455/9 रकवा 2.023 आरे का पट्टा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 22.08.1973 से आवेदक को दिया गया था। जिसके पश्चात् राजस्व अभिलेखों में उसका नाम वर्ष 1972 से 1986 तक दर्ज रहा है किन्तु बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से भूमि शासकीय दर्ज कर दी गयी है इसलिये रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर आम इस्तहार जारी किया गया आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी एवं जांच प्रतिवेदन बुलाया गया जिसमें पट्टा दिये जाने का उल्लेख है। साथ ही साथ यह भी उल्लेख है कि अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 18/अ–19/85–86 में पट्टा निरस्त कर दिया गया है। किन्तु इस संबंध में कोई अभिलेख अथवा साक्ष्य नहीं है। कार्यालय कलेक्टर टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 333/प्रा.प्रति/2014 दिनांक 21.01.2014 से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण दिनांक 16.12.1992 को विनिष्ठ किया जा चुका है इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजो से स्पष्ट है कि आवेदक के हित में भूमि का आवंटन किया गया है किन्तु आवेदक को सुने बिना एक पक्षीय	

रूप से भूमि को शासकीय दर्ज कर दिया गया है। जो कार्यवाही वैधानिक नहीं है एवं इस संबंध में अभिलेख भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार ओरछा द्वारा प्रकरण में गुण दोषों पर आदेश न कर प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त किया है जिससे आवेदक का आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो गया है। जो कार्यवाही उचित नहीं है ऐसी स्थिति में तहसीलदार ओरछा का आदेश दिनांक 16.02.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार ओरछा को इस निर्देश से प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण क्रमांक 24/अ–19/72–73 में पारित आदेश दिनांक 22.08.1973 के अनुसार राजस्व अभिलेखों पूर्ववत् अमल करें तथा इसी निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य